

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

बैंक इण्डिया, शाखा - हमीरगढ भीलवाडा	बनाम	अर्जुन सिंह गौड पुत्र देवी सिंह गौड निवासी- दर्री, पोस्ट- स्वरूपगंज, हमीरगढ, जिला भीलवाडा
- प्रार्थी		- विपक्षी

मुकदमा- प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

प्र0 सं0 2 / 2025

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25	बाद जांच प्रकरण पेश हुआ। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थना में धारा 13(2) नोटिस की रजि0 ए0डी0/अखबार साया, ऋणी स्वीकृती पत्र, प्राधीकृत अधिकारी का शपथ पत्र, प्रोपर्टी दस्तावेज की फोटो प्रतिया प्रस्तुत की हैं। विपक्षी/ऋणी को प्रार्थी पक्ष के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी हो। प्रकरण वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 02-04-2025 को पेश हो।	
	(जसमीत सिंह संधु) जिला कलक्टर भीलवाडा	
	2025 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 15-04-2025 को पेश हो।	
	4-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 22-04-25 को पेश हो।	
	4-2025 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली अग्रिम प्रार्थीपत्र की वलस हेतु 13-05-2025 को पेश हो।	
	पुनश्च- इतना लिखते ही SBI प्रतिनिधि अनुष्का वर्मा ने उपस्थित होकर बैंक (प्रार्थी) की ओर से लिखित प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी ऋणी से लकाया ऋण शशि वसुल हो चुकी है। लिहाज प्रार्थी बैंक का मौजूदा प्रा.पत्र दिनांक 02-08-2024 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी अक्ट Infectious हो चुका है। प्रार्थी बैंक का Cause of Action समाप्त हो जाने से मौजूदा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का मौजूदा प्रकरण दूसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण फेसल शुमार हो।	
	जसमीत सिंह संधु जिला कलक्टर भीलवाडा	